न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल ,जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुनिता मीणा R.A.S.

राजस्व प्रार्थना संख्या : 39 / 2025 दायर तारीख : 16/5/25

भागीरथ बनाम रघुवीर वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एंव सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित : – श्री रामेश्वर धायल अधिवक्ता प्रार्थी / अप्रार्थी
श्री रामसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी / प्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :– 16/7/25

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रार्थी / अप्रार्थी ने प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष एक 251(क) गलत आधारों पर पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी की बहने विवादग्रस्त आराजीयात में खातेदार काश्तकार है। जिनको प्रार्थना पत्र 251(क) में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था । जिन्हे जानबूझकर पक्षकार कायम नहीं किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र 251 (क) के अन्तर्गत मूल रूप से विधि का प्रावधान है कि 251(क) के अन्तर्गत रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता हो तथा कोई वैकल्पिक रास्ता न हो जब कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो गुगल मैप में अंकित है इसलिए रास्ते का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 10 में प्रार्थी ने पूर्व से निर्माण कर मकानात बना रखे है। तथा रहवास कर रहा है। उक्त खसरा नम्बर के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है। खसरा नम्बर 10 पर गलत आधारों पर रास्ता लेने संबंधी प्रार्थना पत्र 251(क) विधि विरूद्ध तरीके से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।
3. जिसमें नकल प्रा0 पत्र अप्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को दिलावायी गई। अप्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब पेश किया तथा जिसका विवरण निम्न प्रकार है। वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक 251 ए आरटी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रतिवादीगण गणों की श्रेणी में हवाकवंर पत्नी रूडसिंह निवासी ईटावा तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान को माननीय न्यायालय में 251 ए आरटी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही निधन हो चुका था तथा उक्त हवाकवर के पति व उनके पुत्रों को दावे में पार्टी बनाया गया है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी हवाकवंर पत्नी श्री रूड सिंह का नाम दर्ज होने की वजह से आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रतिवादीगणों ने स्वंय की बहनों से पहले ही राजस्व रिकोर्ड में हकत्याग करवा लिया गया है।
4. उभय पक्षकारन की बहस को सुना गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

5. बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन व बहस मनन से निम्न तथ्य उभर के सामने आये है। उक्त प्रार्थना पत्र 251 ए आरटी एक्ट के तहत खसरा नम्बर 10 वाके ग्राम ईटावा में से रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त खसरा नम्बर में पूर्व में ही वाद विचाराधीन है। जिस पर न्यायालय का स्थगन है। पूर्व से प्रार्थी ने खसरा नम्बर 10 पर निर्माण कर मकानात बना रखे है तथा रहवास कर रहा है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अप्रार्थी का आदेश 7 नियम 11 सपठित 151 जा0 दी0 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना व अप्रार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटी एक्ट के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित्त है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एंव सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पोषणीय व साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए आर0टी0ए0 खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 16/7/25 को सुनाया गया।

(सुनिता मीणा) आर0ए0स0
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते